राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

अम्बेडकर भवन जी. 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ.7(2)(01234)राछा/सान्याअवि/23/603

जयपुर, दिनांक 17.7.2023

आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में विभागीय आदेश क्रमांक 241 दिनांक 15.05.2023 द्वारा छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल दिनांक 23.05.2023 से खोला जाकर अन्तिम तिथि दिनांक 27.07.2023 रखी गई थी। जिसमें प्रथम मैरिट दिनांक 26.06.2023 को, द्वितीय मैरिट दिनांक 10.07.2023 एवं तृतीय मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 को जारी किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

वर्तमान में विभागीय छात्रावासों में ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर छात्र–छात्राओं के प्रवेश में गति लायी जाने हेतु आदेश में वर्णित तृतीय मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 के स्थान पर दिनांक 19.07.2023 को एवं चतुर्थ मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 को जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है।

समस्त जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु अपने जिलें में संचालित विभागीय छात्रावासों में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षको को स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित करावें।

इसके अतिरिक्त प्रवेश में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में वी.सी. दिनांक 14.07.2023 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशालय को पत्र प्रेषित कर निस्तारण करावें। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर तुरन्त निदेशालय स्थित तकनीकी टीम से ई–मेल आई.डी. support.sje@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करवाकर छात्र–छात्राओं के प्रवेश में गति लाना सुनिश्चित करावें।

(विश्राम मीना)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ.7(2)(01234)राछा/सान्याअवि/23/604-610

जयपुर, दिनांक 17.7.2023

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, ...।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..........................को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कर छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
5. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें एवं छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आदेश का सामान्य प्रचार–प्रसार कराने की व्यवस्था करावें।
7. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Vishram Meena
Designation: Director
Date: 2023.07.14 1?:24:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4288692

17/7/23 P7Lm